

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर  
2, आबकारी भवन, गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर 313001

क्रमांक प.17( )आब/लेखा/एजी/नोडल अधि./443


दिनांक: 12/11/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (अंकेक्षण अनुभाग) के पत्र क्रमांक 12(3)वित्त/अंकेक्षण/2017 जयपुर दिनांक 19.09.2019 एवं दिनांक 08.06.2020 के क्रम में अंकेक्षण प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों तथा जनलेखा समिति की बकाया सिफारिशों के प्रतिउत्तर/क्रियान्विति विषयक सूचना निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने हेतु विभाग में पदस्थापित वित्तीय सलाहकार श्री राम गोप मीणा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।


नोडल अधिकारी से संबंधित सूचना निम्नानुसार है-

1. नाम- श्री राम गोप मीणा।
2. पदनाम- वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. मोबाईल नं.- 9001797689
4. कार्यालय दूरभाष नं.- 0294-2528397

  
(डॉ. जोगाराम)  
आबकारी आयुक्त  
राजस्थान, उदयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, उदयपुर।
5. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन) राजस्थान, उदयपुर।
6. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति) मुख्यालय, उदयपुर।
7. उपवित्तीय सलाहकार मुख्यालय, उदयपुर।
8. संयुक्त निर्देशक (आई.टी.) विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
9. निजी सचिव, आबकारी आयुक्त मुख्यालय, उदयपुर।

  
आबकारी आयुक्त  
राजस्थान, उदयपुर